

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मार्च 06,2023

!!□ आज दिनांक 06.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 89 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 52 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 55 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 53 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम में की गयी कार्यवाही।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्ता किसनावती देवी पत्नी स्व० जवाहिर निवासी बैरिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 अदद बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 111/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्ता अनिल कुमार पुत्र स्व० सुरेश प्रसाद निवासी चौमुखा थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 112/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त लक्ष्मी पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम सुचितपुर बघौना टोला बनकटवा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 79/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्ता अंगीता देवी पत्नी शंकरसुमन निवासी ग्राम अहिरौली थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 80/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3. अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी कस्बा पनियरा खास थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 पाउच अवैध बन्टी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 81/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 4. अभियुक्त राकेश पुत्र महेन्द्र निवासी कस्बा पनियरा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 पाउच अवैध बन्टी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 82/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त विष्णू साहनी पुत्र पोखई निवासी जिगिनिहवा थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 32/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना श्यामदोउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्ता पार्वती पत्नी मोहन निवासी ग्राम बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदोउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्ता राधिका पत्नी नायक उर्फ तुफानी निवासी ग्राम बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदोउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त प्रेम अग्रहरी पुत्र स्व0 सीताराम अग्रहरी नि0 ग्राम लक्ष्मीपुर एकमा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पैकेट 200 एमएल की देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्ता विन्द्रावती पत्नी स्व0 चौथी निवासी ग्राम सेमरहनी टोला सूरपार थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त चन्द्रकिशोर गोंड पुत्र रामाश्रय निवासी ग्राम बेलवाखुर्द थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त अनिल जायसवाल पुत्र गिरीश चन्द्र जायसवाल निवासी नरायनपुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्ता निशा पत्नी जयशन कुमार निवासी ग्राम इलाहाबास टोला मदनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्ता कलूता पत्नी पथरी निवासी ग्राम इलाहाबास टोला मदनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3. अभियुक्ता भानमती पत्नी वाल्मिकी चौहान निवासी ग्राम ग्राम जंगल गुलरिहा टोला तुलसीपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामराज पुत्र स्व0 जमुना निवासी नैनिया नेटुहिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीपक पुत्र स्व0 लालचन्द निवासी सेमराडाडी थाना फरेन्दा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/23 धारा 60(1)ख आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हरि पुत्र अलगू निवासी सुकरहर थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त बुधेश्वर गोंड पुत्र विजई गोंड निवासी चकदह खास थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त जगदीश पुत्र रामलाल निवासी निपनिया थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 11 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3. अभियुक्त मोहन यादव पुत्र स्व0 रघुनाथ यादव निवासी वार्ड नं0 4 विशुनपुरवा टोला नौतनवां थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 21 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त भोला सिंह पुत्र प्रदुम्न सिंह निवासी बरवलिया थाना मिश्रौलिया जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार राज्य के कब्जे से 22 फुटी बन्टी बबली अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08. कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गोविन्द पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम पिपरा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से एक पिकअप पर 02 बोरी गेहूँ व एक अदद मोटर साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 10 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुजीत गोंड पुत्र रुदल गोंड निवासी गवनरिया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 04 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

09. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

***10.* जनपद में 05/06.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 74 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

11.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा।